<u>नौवहन महानिदेशालय, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई</u>

मास्टर और मेटों के मुख्य परीक्षक द्वारा प्राधिकृत	परीक्षा, मूल्यांकन तथा प्रमाणन (ईएसी) अनुभाग	आईएस / आईएसओ क्लॉज सं. 7-5-1
	विषय : विभिन्न सक्षमता पाठ्यक्रमों में उपस्थित रहने की सुविधा-संबंधी	वर्ष 2014 का वाणिज्य पोत परिवहन सं. 14
		दि. 27.08.14
फाईल सं. 7-एनटी(3)/2010		

1. <u>पृष्ठभूमि :</u> करियर में पदोन्नति हेतु उच्चतर योग्यता प्राप्त करनेवाले इच्छुक उम्मीदवार को एमएस(एसटीसीडबल्यू) नियम, 1998 (यथासंशोधित) के अंतर्गत यथा निर्धारित अनुमोदित (समुद्रीय) शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा तथा मूल्यांकन (मेटा) प्राप्त करना होगा ।

2. <u>वर्तमान मुद्दा :-</u>

निदेशालय की जानकारी में यह लाया गया है कि ऐसे अनुमोदित शिक्षा (तैयारी) पाठ्यक्रम जो सक्षमता परीक्षा में परिणत होता है, वह फिलहाल या तो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है या अनियमित तौर पर / यदा-कदा आयोजित की जा रही है । इस संबंध में किए गए एक अध्ययन से यह पाया गया कि पर्याप्त प्रतिभागियों की कमी के कारण, संस्थान प्रायः ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन नहीं करना चाहते जो ऐसे पाठ्यक्रमों के आयोजन को फायदेमंद नहीं बनाते ।

3. <u>उपाय :-</u>

इच्छुक अधिकारियों की चिंता को कम करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने एतद्द्वारा समान ग्रेड के नियमित तैयारी पाठ्यक्रम में ऐसे अधिकारियों को अनुमति दे दी है, बशर्ते वे निम्न शर्तों पर खरे उतरते हों –

3.1. अभ्यर्थी के पास बुनियादी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ताकि जब वे ऐसे पाठ्यक्रम में भाग लें तो विषय-वस्तु को समझ सकें ।

3.2. उसे, मुख्य पाठ्यक्रम परीक्षा में उन विषयों के लिए यथाप्रयोज्यनीय, क्रमश: 50% - 60% या 70% अपेक्षित अंकों के प्रति संस्थान द्वारा आयोजित आंतरिक मूल्यांकन जांच में कम-से-कम 45% या 60% प्राप्त हो ।

3.3. वह 5 वर्षों की अवधि में उसी ग्रेड (यानी नौचालन निगरानी अधिकारी या चीफ़ मेट या मास्टर) की उच्चतम परीक्षा पूर्ण करने में सक्षम हो । जिसके न होने पर, अभ्यर्थी, यथाप्रयोज्यनीय क्षेत्र के पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है या असीमित उच्चतर पाठ्यक्रम में दोबारा भाग ले सकता है तथा उसे यथाप्रयोज्यनीय, पुनर्वैधीकरण / अद्यतनीकरण पाठ्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित होगा । इन बातों को लागू करने के लिए परिशिष्ट 'ए' मार्गदर्शन देता है ।

4. वर्तमान में प्रभावी प्रावधान: जिन विभिन्न विद्यमान प्रावधानों को आंशिक रूप से इस सीमा तक आशोधित किया जाएगा, वे, पूर्वोक्त शीर्ष वर्तमान / मुद्दों के अंतर्गत यथा विस्तृत रूप से नीचे सूचीबद्ध दिया गया है ।

(i) <u>सेकंड मेट तक पदोन्नति (एफजी)</u> – निम्न यथाविहित पाठ्यक्रमों के माध्यम से:

- मेटा मैनुअल संदर्भ सेक. M II / 5.3 में; या
- 2004 के एम एस नोटिस सं. 10 में, पैरा 8.8.1; या
- 2006 के एम एस नोटिस सं. 08 में, पैरा 1.2.1

(ii) <u>चीफ़ मेट तक पदोन्नति (एफजी)</u> – निम्न यथाविहित पाठ्यक्रमों के माध्यम से:

- मेटा मैनुअल संदर्भ सेक. एम II / 6.3 में या
- 3000 GT से कम चीफ मेट हेतु एसटीसी डबल्यू 78/2010 प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावित ड्राफ्ट नियमों में ।

- एम एस नोटिस सं. 08/2006, पैरा 2.2.1 तथा 2.3.1 तथा 2.3.2 तथा4 (यथाप्रयोज्यनीय)
- उप-शीर्षक 'सामान्य तथा विविध प्रावधान' के अंतर्गत एम एस नोटिस सं. 12/2012 में ।

(iii) <u>ए एस एम तक पदोन्नति (एफजी)</u> – निम्न यथाविहित पाठ्यक्रमों के माध्यम से:-

3000 जीटी से कम मास्टर (एफजी) हेतु एसटीसीडबल्यू/2010 प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावित ड्राफ्ट नियमों में।

उपरोक्त सुविधाएँ केवल तैयारी पाठ्यक्रम की उपस्थिति के लिए हैं तथा यह उच्चतर सक्षमता परीक्षा (लिखित तथा मौखिक) में बैठने हेतु अभ्यर्थियों को पात्रता की स्वीकृति स्वयं प्रदान नहीं करता, जो कि किसी मूल्यांकन केंद्र को आवेदन के द्वारा जलयान के प्रकार, आकार तथा प्रचालन के उपयुक्त क्षेत्र में अपेक्षित समुद्र-गामी सेवा की समाप्ति पर ही प्रदान किया जाता है ।

(कप्तान एस.के. शुक्ला)
उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार

संलग्न : परिशिष्ट 'ए'

परिशिष्ट 'ए'

क्र. सं.	तैयारी पाठ्यक्रम तथा अंतिम परीक्षा	शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम योग्यता / अनुभव	मार्गस्थ प्रमाणन
1.	सेकंड मेट (एफ जी)	12 वीं (पीसीएम) + अंग्रेज़ी 50%	36 माहों की समुद्र-गामी सेवा (या समतुल्य) या पूर्व-नेवी सेलर की डायरेक्ट एंट्री	एनडबल्यूकेओ (एनसीवी)
2.	चीफ़ मेट (एफजी) फ़ेज़ I और II	12वीं (पीसीएम)	सेकंड मेट(एफजी) + अपेक्षित समुद्र-गामी सेवा या पूर्व नेवी सेलर की डायरेक्ट एंट्री	चीफ मेट (एनसीवी) उसके बाद, चीफ मेट (एफजी) <3000 जीटी
3.	ए एस एम (एफजी)	12वीं (पीसीएम)	चीफ मेट (एफजी) असीमित / <3000 जीटी + अपेक्षित समुद्र-गामी सेवा	मास्टर (एफजी) <3000 जीटी

(i) उपरोक्त क्र. सं.1 में, एनडबल्यूकेओ (एनसीवी) सीओसी के इच्छुक उम्मीदवार को सीधे सेकंड मेट (एफजी) तैयारी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की स्वीकृति दी जा सकती है, बशर्ते वह शैक्षणिक पात्रता मानदंडों पर खरा उतरता हो ।

(ii) उपरोक्त क्र. सं.2 में 3000 जीटी से कम चीफ मेट (एनसीवी), उसके बाद चीफ मेट (एफजी) सीओसी के इच्छुक उम्मीदवार को सीधे चीफ मेट (एफजी) फ़ेज I तथा II तैयारी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते वह शैक्षणिक तथा प्रोफ़ेशनल योग्यता / अनुभव के पात्रता मानदंडों पर खरा उतरता हो और पूर्वोक्त रूप से चले आ रहे करिअर पदोन्नति क्रम का अनुसरण करता हो ।

(iii) उपरोक्त क्र. सं.3 में, 3000 जीटी से कम मास्टर (एफजी) सीओसी के इच्छुक उम्मीदवार को सीधे एएसएम (एफजी) तैयारी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की स्वीकृति दी जा सकती है, बशर्ते वह शैक्षणिक तथा प्रोफ़ेशनल योग्यता / अनुभव के पात्रता मानदंडों पर खरा उतरता हो ।